



CURRENT AFFAIRS

1. सीईसी और अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 -

- राज्यसभा ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- इस कानून का उद्देश्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।
- यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह लेता है। यह सीईसी और ईसी की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन को संबोधित करता है।
- सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।
- इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी।
- पदों के लिए पात्रता में केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करना (या धारण करना) शामिल है।
- सीईसी और ईसी का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। 1991 के अधिनियम के तहत, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर था।
- विधेयक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 324(5)) को बरकरार रखता है जो सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाने की अनुमति देता है, जबकि ईसी को केवल सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

What the new bill proposes

WHAT THE LAW IS RIGHT NOW

CEC, ECs are appointed by the PM and council of ministers, under the seal of the President.

WHAT DID SC SAY ON MARCH 2?

A bench headed by justice KM Joseph said ECs and CECs will be chosen by a panel comprising PM, LoP and CJ, till Parliament passes a law.

THE PLAN AHEAD

The government tabled the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 that says:



• Search panel, led by the law minister with 2 secy as members, to shortlist five names.

• Selection committee - comprising PM, LoP and a Union cabinet minister - to review names and recommend appointments; the panel can also consider other names.

• President to ratify appointments.

"Functioning of ECI was and will remain impartial and transparent, and the govt is committed to ensuring that."

— Arjun Ram Meghwal,
Union law minister



2. अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवास -

- पिछले एक दशक में, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो एक दशक पहले मामूली 1,500 से बढ़कर 2023 में 96,917 तक पहुंच गई है।
- भारतीयों द्वारा अवैध सीमा पार करने में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि 2020 के बाद से देखी गई है, जो ऐतिहासिक रूप से 10,000 से कम संख्या से एक प्रस्थान का प्रतीक है।
- परंपरागत रूप से, अधिकांश अवैध क्रॉसिंग यू.एस.-मेक्सिको सीमा पर होती हैं। हालाँकि, भारतीय प्रवासी तेजी से उत्तरी सीमा का चयन कर रहे हैं, जिनकी संख्या 2014 में 100 से कम से बढ़कर 2023 में 30,000 से अधिक हो गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों में वृद्धि के कारण-

- भारत में पर्याप्त नौकरी के अवसरों और आर्थिक संभावनाओं की कमी जैसे कई कारक हैं जो व्यक्तियों को विदेश में बेहतर रोजगार की संभावनाओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- भारत में सामाजिक संघर्ष या शासन संरचना में विश्वास की कमी कुछ व्यक्तियों को कहीं और अधिक स्थिर वातावरण की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
- बेहतर रोजगार, उच्च वेतन और करियर में उन्नति की पेशकश के लिए अमेरिका की प्रतिष्ठा प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण कारक के रूप में कार्य करती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का प्रलोभन शैक्षिक अवसरों की तलाश करने वाले छात्रों और परिवारों को आकर्षित करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से बसे परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के साथ पुनर्मिलन की इच्छा कुछ प्रवासियों को प्रियजनों से निकटता के लिए अवैध प्रवेश की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है।
- अत्यधिक वीजा बैकलॉग ने व्यक्तियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा समय और कानूनी प्रवेश के सीमित विकल्पों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के वैकल्पिक, यद्यपि अवैध, रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया है।
- सोशल मीडिया और भ्रामक ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से गलत सूचना फैलती है जो अक्सर हताश प्रवासियों को गुमराह करती है।





3. संसद में सुरक्षा उल्लंघन -

- हाल ही में, नेताओं द्वारा 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया।
- दिल्ली पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, एक आतंकवाद विरोधी कानून की धाराओं के साथ-साथ आपराधिक साजिश, अतिक्रमण, दंगा भड़काने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं भी लगाई हैं। किसी लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना।
- हमले के दौरान आरोपियों के पास उन्हें जारी किए गए आगंतुक पास थे।
- लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का नियम 386 सदन की बैठकों के दौरान आगंतुकों (संसदीय शब्दों में "अजनबी" के रूप में संदर्भित) के "प्रवेश, वापसी और निष्कासन" को नियंत्रित करता है।
- सदस्य केवल व्यक्तिगत रूप से परिचित व्यक्तियों के लिए ही विज़िटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- प्रमाणीकरण आवश्यक है, जिसमें कहा गया हो, "उपरोक्त नामित आगंतुक मेरा रिश्तेदार/व्यक्तिगत मित्र है/मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और मैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।"
- आगंतुकों की दीर्घाओं में प्रवेश के लिए कार्ड आमतौर पर एक बैठक के लिए, आम तौर पर एक घंटे के लिए जारी किए जाते हैं। ये कार्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं और धारक द्वारा इसमें दी गई शर्तों का पालन करने पर ही जारी किए जाते हैं।
- सुरक्षा कारणों से, आगंतुकों को प्रमाणीकरण के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। राज्यसभा में विज़िटर एंट्री के लिए भी ऐसे ही नियम लागू हैं।
- सदस्यों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर जब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवेश की सुविधा हो जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हो। कार्डधारकों के कारण गैलरी में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या अवांछनीय गतिविधि के लिए सदस्य जिम्मेदार होते हैं।





Quiz

Q1. निम्नलिखित समुद्रों पर विचार करें:

1. लाल सागर
2. पीला सागर
3. काला सागर
4. सफ़ेद सागर

ऊपर दिए गए समुद्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित करें:

- a) 1,2,3,4
- b) 2,1,3,4
- c) 1,3,2,4,
- d) 1,4,2,3

Q2. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।

2. इसका गठन 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q3. लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अध्यक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष रहता है।

2. अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि लोकसभा की कार्यवाही खुली और पारदर्शी हो।

3. लोकसभा के सत्र की अध्यक्षता करने का दायित्व अध्यक्ष का होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- a) केवल एक
- b) केवल दो
- c) तीनों
- d) कोई नहीं

Q4. हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम_ को वैधानिक मान्यता देता है:

- a) अंतरजातीय विवाह
- b) अंतरधार्मिक विवाह
- c) सिख विवाह और शादी की रस्में
- d) हिंदू विवाह और अनुष्ठान

Q5. UNODC के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफ़ग़ानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफ़ीम उत्पादक देश बन गया है?

- a) पाकिस्तान
- b) म्यांमार
- c) वियतनाम
- d) चीन

Q6. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थित है?

- a) रक्षा मंत्रालय
- b) गृह मंत्रालय
- c) विदेश मंत्रालय
- d) रेल मंत्रालय

Answer Key

1	2	3	4	5	6
a	c	b	c	b	b